

बिहार सरकार
बजट 2012-13 के मुख्य आकर्षण

मदें		2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (बजट अनुमान)	2012-13 (बजट अनुमान)	वर्ष 2012-13 राजस्व/ पूँजीगत के आय/व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2011-12 (बजट अनुमान) से वृद्धि
1		2	3	4	5	6	7
1	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	35526.83	44532.32	56205.86	68047.86	100.00	21.07
2	कर राजस्व	26292.25	33848.23	39549.29	48821.63	71.75	23.45
	(क) संघीय करों में राज्य का अंश	18202.58	23978.38	26966.39	33126.33	48.68	22.84
	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	8089.67	9869.85	12582.90	15695.30	23.07	24.74
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	1670.42	985.53	2985.94	3142.46	4.62	5.24
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	7564.16	9698.56	13670.63	16083.77	23.64	17.65
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	6147.58	6044.28	9106.98	9336.48	100.00	2.52
6	ऋणों की वसूली	13.20	11.86	18.09	15.05	0.16	-16.80
	लोक ऋण (7+8)	6134.39	6032.42	9088.89	9321.43	99.84	2.56
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	5370.06	5250.89	6712.98	7778.37	83.31	15.87
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	764.32	781.53	2375.91	1543.06	16.53	-35.03
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	41674.42	50576.60	65312.84	77384.34		18.48
10	आयोजना भिन्न व्यय	26601.85	29793.97	37822.95	45322.97	100.00	19.83
11	राजस्व खाते पर जिसमें	24145.38	27316.41	34619.00	42079.31	92.84	21.55
12	(क) ब्याज भुगतान	3685.48	4319.16	4738.51	5186.00	12.32	9.44
12	(ख) पेंशन	4318.70	6143.86	7584.26	10043.02	23.87	32.42
12	(ग) वेतन	9001.43	9953.36	12451.18	14100.66	33.51	13.25
13	पूँजीगत खाते पर (क+ख+ग)	2456.47	2477.56	3203.95	3243.66	7.16	1.24
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	1169.32	1724.53	2442.10	2588.68	79.81	6.00
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	813.67	465.50	465.79	465.80	14.36	0.00
	(ग) पूँजीगत व्यय	63.97	45.69	95.76	102.28	3.15	6.81
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	409.51	241.85	200.30	86.91	2.68	-56.61
14	आयोजना व्यय	16194.19	20910.55	27502.92	33363.85	100.00	21.31
	(क) राज्य योजना	13998.04	18426.50	24000.00	28000.00	83.92	16.67
	(ख) के.प्र.यो.+के.यो.यो.	2196.15	2484.05	3502.92	5363.85	16.08	53.13
15	राजस्व खाते पर	8438.80	10899.51	15314.56	18879.96	56.59	23.28
16	पूँजीगत खाते पर	7755.39	10011.04	12188.35	14483.89	43.41	18.83
17	कुल व्यय (10+14)	42796.04	50704.52	65325.87	78686.82	100.00	20.45
18	राजस्व व्यय (11+15)	32584.17	38215.92	49933.56	60959.27	77.47	22.08
19	पूँजीगत व्यय (13+16)	10211.86	12488.60	15392.31	17727.56	22.53	15.17
20	राजस्व घाटा (18-1)	-2942.66	-6316.40	-6272.30	-7088.59		
21	राजकोषीय घाटा {17-(1+6+13क+13ख)}	5273.02	3970.31	6194.03	7569.43		
22	प्राथमिक घाटा (21-12क)	1587.54	-348.85	1455.52	2383.43		
23	जी.एस.डी.पी.	177537.00	213072.77	211400.00	263876		
24	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	2.97%	1.86%	2.93%	2.87%		
25	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	10.37%	9.70%	8.43%	7.62%		

- **राजस्व बचत :-** राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय को घटाने से बचने वाली राशि राजस्व बचत होती है । वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजस्व बचत 7088.59 करोड़ रुपये का है । इस राजस्व अधिशेष का उपयोग भौतिक अधिसंरचना में निवेश यथा सड़क, भवन, बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई योजनाएं आदि उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया जाएगा ।
- **राजकोषीय घाटा :-** कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि घटती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है । वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा 7569.43 करोड़ रुपये का है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 263876 करोड़ रुपये का 2.87 प्रतिशत है ।
- **पूंजीगत परिव्यय :-** सम्पत्तियों के सृजन/विस्तार पर जो राशि व्यय की जाती है वह पूंजीगत परिव्यय होती है । पूंजीगत परिव्यय 2011-12 के बजट अनुमान 11447.81 करोड़ ₹0 से बढ़कर 2012-13 के बजट अनुमान में 13412.37 करोड़ ₹0 हो गया है । यह 2011-12 के पूंजीगत परिव्यय से 1964.56 करोड़ ₹0 अधिक है ।
- **ऋण प्रबंधन :-** बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के आलोक में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत का रखा जाना है। राजकोषीय घाटे के अन्तर्गत ही ऋण लिया जाना होता है। ऋण की अधिसीमा भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। वर्ष 2012-13 के लिए 7916.00 करोड़ रुपये शुद्ध ऋण प्राप्त करने का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया है । ऋण अधिसीमा के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद 263876.00 करोड़ रुपये है जिसके आलोक में ही ऋण लिया जाना प्रस्तावित है । लोक ऋण 59732.81 करोड़ रुपया अनुमानित है जो सकल घरेलू उत्पाद का 22.64 प्रतिशत है ।
- **राजकोषीय प्रबंधन :-** बिहार उन राज्यों में एक है जिसने राजकोषीय प्रबंधन को गंभीरतापूर्वक लिया है एवं एफआरबीएम अधिनियम को सही मायने पर लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटे को 2.87 प्रतिशत तक अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा 3.00 प्रतिशत निर्धारित है । पुनरीक्षित अनुमान राजकोषीय घाटे का 5.45 प्रतिशत प्रदर्शित हो रहा है जिसे वर्ष के अन्त में होने वाले प्रत्यर्पण के पश्चात् 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा तक रहेगा ।

- **वित्त प्रबंधन :-** राज्य सरकार द्वारा बजट की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। सभी कोषागारों/उप कोषागारों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। लेखों के समय से प्रेषण के कारण वित्तीय वर्ष के अन्त के उपरान्त शीघ्रता से वित्त लेखों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस प्रणाली के लागू होने से विभाग के प्रधान सचिव/सचिव किसी क्षण यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अभी तक कितनी राशि का व्यय उनकी मांग के अन्तर्गत किया गया है और किस पदाधिकारी द्वारा कितनी राशि अभी तक निकासी की है ।
- **निक्षेप निधि (सिंकिंग फण्ड) :-** राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में एक निक्षेप निधि गठित की है जिससे ऋण के भुगतान के लिए राशि की उपलब्धता वैसे वर्षों में उपलब्ध हो सकेगी जिन वर्षों में ऋण भुगतान के लिए राज्य के पास राशि की उपलब्धता किसी कारण से नहीं हो। वर्ष 2011-12 तक 676.43 करोड़ रुपये का निवेश इस निधि में किया गया है ।
- **स्थानीय निकायों की बजट पुस्तिका :-** 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि के लिए एक अलग से बजट पुस्तिका प्रकाशित की गई है। उक्त पुस्तिका में राज्य सरकार द्वारा जो राशि स्थानीय निकायों को अनुदान दी जाती है या सीधे एजेंसी को जो राशि उपलब्ध करायी जाती है उसे प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक जिला के स्थानीय निकाय को कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है यह उक्त पुस्तिका में अंकित है ।
- **अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि :-** वित्तीय वर्ष 2011-12 से यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाए ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के समुदाय पर ही किया जा सके और राशि को अन्यत्र व्यय नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस मद में मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत विभिन्न उपशीर्षों में कुल 4219.49 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित की गई है । अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल राशि 280.96 करोड़ रुपये प्रावधानित की गई है जो कि मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 796 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रावधानित की गई है ।

- **शिक्षा प्रक्षेत्र :-** वर्ष 2011-12 के 10977.91 करोड़ रु0 की तुलना में 2012-13 में 15054.12 करोड़ रु0 प्रस्तावित हैं जिसमें आयोजना मद में 6157.27 करोड़ रुपये जिसमें राज्य योजना में 3670.26 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना में 2487.01 करोड़ रुपये एवं आयोजना भिन्न मद में 8896.85 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जो गत वर्ष के बजट प्रावधान की तुलना में 4076.21 करोड़ रुपये अधिक है ।
- **स्वास्थ्य प्रक्षेत्र :-** वर्ष 2011-12 के 2724.61 करोड़ रु0 की तुलना में 2012-13 में 3085.99 करोड़ रु0 प्रस्तावित हैं जिसमें आयोजना मद मद में 999.20 करोड़ रुपये तथा आयोजना भिन्न मद में 2086.79 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जो गत वर्ष के बजट प्रावधान की तुलना में 361.38 करोड़ रुपये अधिक है ।
- **सड़क प्रक्षेत्र :-** पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा व्यय किए जाते हैं । इन विभागों में इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2011-12 के 5964.55 करोड़ रु0 की तुलना में 2012-13 में 6356.18 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसमें सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत मद में 700.00 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

प्रमुख विभागवार योजना उद्ब्यय(2012-13) इस प्रकार है:-

क्रम सं0	विभाग का नाम	योजना परिव्यय (करोड़ रु0)	प्रतिशत
1	शिक्षा	3670.26	13.11
2	पथ निर्माण	3613.63	12.91
3	जल संसाधन	2192.47	7.83
4	समाज कल्याण	2118.40	7.57
5	ऊर्जा	2001.75	7.15
6	योजना एवं विकास	1863.37	6.65
7	ग्रामीण कार्य	1661.78	5.93
8	ग्रामीण विकास	1574.84	5.62
9	कृषि विभाग	1200.00	4.29
10	पंचायतीराज	1186.00	4.24
11	अन्य विभाग	6917.50	24.70
	योग	28000.00	100%

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रमुख विभागों का तुलनात्मक परिव्यय			
(करोड़ ₹0 में)			
विभाग का नाम	2011-12 योजना परिव्यय	2012-13 योजना परिव्यय	गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत परिवर्तन
1 शिक्षा	3014.00	3670.26	21.77
2 पथ निर्माण	3513.76	3613.63	2.84
3 जल संसाधन	2016.37	2192.47	8.73
4 समाज कल्याण	1739.62	2118.40	21.77
5 ऊर्जा	1682.23	2001.75	18.99
6 योजना एवं विकास	1548.47	1863.37	20.34
7 ग्रामीण कार्य	1200.41	1661.78	38.43
8 ग्रामीण विकास	1293.25	1574.84	21.77
9 कृषि विभाग	863.86	1200.00	38.91
10 अन्य विभाग	7128.03	8103.50	13.68
योग	24000.00	28000.00	16.67

1. वित्तीय वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान 78686.82 करोड़ रुपये है । जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 65325.87 करोड़ रुपये से 13360.95 करोड़ रुपये (20.45 प्रतिशत) अधिक है ।

2. वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोजन भिन्न व्यय का बजट अनुमान 45322.97 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 37822.95 करोड़ रुपये से 7500.02 करोड़ रुपये अधिक है ।

3. वित्तीय वर्ष 2012-13 का राज्य योजना उद्ध्यय का कुल बजट अनुमान 28000 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 24000 करोड़ रुपये से 4000 करोड़ रुपये अधिक है । इसमें कर्णाकित परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता मद में 6031.73 करोड़ रुपये रखे गये हैं । वित्तीय 2011-12 के राज्य योजना बजट अनुमान में कर्णाकित परियोजनाओं के लिए 5988.63 करोड़ रुपये से 43.10 करोड़ रुपये अधिक है ।

4. वित्तीय वर्ष 2012-13 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये 5255.18 करोड़ रुपये रखे गये है, जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 3356.33 करोड़ रुपये से 1898.85 करोड़ रुपये अधिक है ।

5. वित्तीय वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये 108.67 करोड़ रुपये रखे गये है। जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 146.59 करोड़ रुपये से 37.92 करोड़ रुपये कम है ।

6. वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल पूंजीगत परिव्यय 13412.37 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 11447.81 करोड़ रुपये से 1964.56 करोड़ रुपये अधिक है ।
7. वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 68047.86 करोड़ रुपये का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के 56205.86 करोड़ रुपये से 21.07 प्रतिशत अधिक है ।
8. वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 15695.30 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 12582.90 करोड़ रुपये की तुलना में 24.74 प्रतिशत अधिक है ।
9. वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 3142.46 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें झारखण्ड से 2000 करोड़ रुपये पेंशन मद में प्राप्त होने का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 2985.94 करोड़ रुपये की तुलना में 5.24 प्रतिशत अधिक है ।
10. वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य को केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में 33126.33 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है । जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित अनुमान 28805.50 करोड़ रुपये से 15 प्रतिशत अधिक है ।
11. वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 16083.77 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है । जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान 13670.63 करोड़ रुपये की तुलना में 2413.14 करोड़ रुपये अधिक है ।
12. वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोजन भिन्न व्यय 45322.97 एवं आयोजन व्यय 33363.85 करोड़ रुपये का है जो कुल व्यय 78686.82 करोड़ रुपये का क्रमशः 57.60, 42.40 प्रतिशत है ।
13. वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 60959.27 करोड़ रुपये एवं 17727.56 करोड़ रुपये है जो कुल व्यय 78686.82 करोड़ रुपये का क्रमशः 77.47 एवं 22.53 प्रतिशत है ।
14. वित्तीय वर्ष 2012-13 में 7088.59 करोड़ रुपये राजस्व अधिशेष रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 263876 करोड़ रुपये का 2.69 प्रतिशत है ।
15. वित्तीय वर्ष 2012-13 में 7569.43 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 263876 करोड़ रुपये का 2.87 प्रतिशत है ।

16. वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक ऋण का अधिशेष 59732.81 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 263876 करोड़ रुपये का 22.64 प्रतिशत रहने का अनुमान है ।

संक्षिप्त विवरण 2012-13 के बजट अनुमान

➤ कुल व्यय	: 78686.82 करोड़ रुपये
➤ कुल योजना व्यय	: 33363.85 करोड़ रुपये
राज्य योजना	: 28000.00 करोड़ रुपये
केन्द्र प्रायोजित योजना	: 5255.18 करोड़ रुपये
केन्द्रीय योजनागत योजना	: 108.67 करोड़ रुपये
➤ कुल गैर योजना व्यय	: 45322.97 करोड़ रुपये
➤ कुल प्राप्तियां	: 77384.34 करोड़ रुपये
➤ राजस्व प्राप्तियां	: 68047.86 करोड़ रुपये
राज्य के कर राजस्व	: 15695.30 करोड़ रुपये
राज्य के गैर कर राजस्व	: 3142.46 करोड़ रुपये
केन्द्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा	: 33126.33 करोड़ रुपये
केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	: 16083.77 करोड़ रुपये
➤ पूंजीगत प्राप्तियां	: 9336.48 करोड़ रुपये
उधार	: 9321.43 करोड़ रुपये
कर्ज की वापसी	: 15.05 करोड़ रुपये
➤ कुल व्यय	: 78686.82 करोड़ रुपये
राजस्व व्यय	: 60959.27 करोड़ रुपये
पूंजीगत व्यय	: 17727.56 करोड़ रुपये
➤ राजस्व बचत	: 7088.59 करोड़ रुपये (जी०एस०डी०पी० का 2.69%)
➤ राजकोषीय घाटा	: 7569.43 करोड़ रुपये (जी०एस०डी०पी० का 2.87%)
➤ राज्य के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत	
मूल्यवर्धित कर	: 7342.00 करोड़ रुपये
उत्पाद शुल्क	: 2764.95 करोड़ रुपये
माल एवं यात्री कर	: 2800.00 करोड़ रुपये
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	: 1856.00 करोड़ रुपये
परिवहन कर	: 644.40 करोड़ रुपये
अन्य कर	: 287.95 करोड़ रुपये

- राज्य के मुख्य गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोत
झारखण्ड से दिनांक- 14.11.2000 के पूर्व
सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशन मद में
भुगतान की गयी राशि में हिस्सा : 2000.00 करोड़ रुपये
- खनन : 470.00 करोड़ रुपये
सिंचाई : 30.00 करोड़ रुपये
ब्याज प्राप्तियां : 263.74 करोड़ रुपये
अन्य मदों में प्राप्तियाँ : 378.72 करोड़ रुपये
- प्रतिबद्ध व्यय
- वेतन (क) गैर योजना मद में : 14100.66 करोड़ रुपये
(ख) योजना मद में : 808.66 करोड़ रुपये
पेंशन : 10043.02 करोड़ रुपये
ब्याज भुगतान : 5186.00 करोड़ रुपये
लोक ऋण अदायगी : 3054.48 करोड़ रुपये
कुल : 33192.82 करोड़ रुपये

=====